श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 1995

क्र. एफ. 4 (ई) 3-95-श्रम-सोलह-ब.—मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, श्रम कल्याण मण्डल द्वारा नियुक्त निरीक्षक/पर्यवेक्षकों को इस धारा के प्रयोजन हेतु निरीक्षक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. लक्कड़, उपसचिव

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 1995

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मई 1995

क्र. एफ. 14-3-94-सौलह-ब.—मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983) की धारा 1 की उपधारा (3)सपठित धारा 2 (5), (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं श्रम विभाग की पूर्व अधिसूचना क्र. 14-1-84-सौलह-ब, दिनांक 11 नवम्बर 1987 के तारतम्य में राज्य शासन एतद्द्वारा 1 जून, 1995 को उस तारीख के रूप में नियत करता है जबसे उक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध मध्यप्रदेश राज्य के समस्त ऐसी स्थापनाओं

जो व्यवसाय अथवा व्यापार अथवा उससे संबंधित अथवा सहयोगी कार्य करते हो एवं जिनमें विगत 12 माहो में किसी भी कार्य दिवस पर 9 से अधिक श्रमिक नियुक्त हो अथवा नियुक्त किये गये हो, के लिये प्रवृत्त होंगे.

No. F. 14-3-94-XVI-B.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Madhya Pradesh Shram Kalayan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983) read with clause (ii) of sub-section (5) of Section 2 thereof, and in continuation of Labour Deptt's previous notification No. 14-1-84-XVI-B, dated the 11th November 1987 the State Government hereby appoints 1st day of June 1995 as the date on which all the provisions of the said act shall come in to force in respect of such establishments in the State of Madhya Pradesh, which carry on any business grade or any work in connection with or ancillary thereto, and which employ or have employed on any working day during the preceding twelve months more than 9 person .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. लक्कड़, उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 1996

भोपाल, दिनांक 25 मई 1996

क्र. एफ. 4 (ई) 3-95-श्रम-सोलह-ब.—मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, श्रम कल्याण मण्डल में नियुक्त अतिरिक्त कल्याण आयुक्त, उपकल्याण आयुक्त, सहायक कल्याण आयुक्त, जनसम्पर्क अधिकारी, अभिदाय वसूली अधिकारी एवं कल्याण अधिकारी को इस धारा के प्रयोजन हेतु निरीक्षक नियुक्त करता है.